



## हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय

HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांक: प.6(32)एचजेयू/स्टोर/होटल बुकिंग/2021/11150

दिनांक : 11/01/22

### पुनः सीमित निविदा दर आमंत्रित हेतु

**विषय :-** विश्वविद्यालय हेतु होटल के कमरों एवं कॉन्फ्रेंस हॉल किराए पर लेने के लिए सीमित निविदा दर आमंत्रित करने के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय में आमंत्रित अतिथियों हेतु होटल के कमरे एवं कॉन्फ्रेंस हॉल किराए लेने के लिए निम्नविवरणानुसार एक वर्ष की अवधि के लिए निविदादाताओं से सीमित निविदाओं की दर आमंत्रित किया जाना है :-

क्र.सं.	होटल का नाम एवं पता	रूम कैटेगरी	सिंगल	डबल	विशेष विवरण
1.		Standard Room Superior Room Deluxe Room Executive Suite			CPA/MAPI (दरें अलग से अंकित करें)
2.		Banquet Hall			प्रति दिन की दर से (सभी कर सहित)

अतः उक्त वर्णितानुसार इच्छुक निविदादाता होटल के कमरे एवं कॉन्फ्रेंस हॉल किराए देने के लिए सीमित निविदा दरें दिनांक 18/01/2022 को सांयकाल 4 बजे तक बंद लिफाफे में भिजवाने का उद्यम करावें। सीमित निविदाएँ दिनांक 19/01/2022 को 12:00 बजे मध्याह्न को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

(अबु सुफियान चौहान)

आरएएस

कुलसचिव

क्रमांक: प.6(32)एचजेयू/स्टोर/होटल बुकिंग/2021/11151-157 दिनांक : 11/01/22  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, कुलसचिव, एचजेयू, जयपुर।
2. निजी सहायक, वित्त नियंत्रक, एचजेयू, जयपुर।
3. सहायक कुलसचिव, एचजेयू, जयपुर।
4. लेखा शाखा, एचजेयू, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।
6. नोटिस बोर्ड
7. उक्त सूचना को वेबसाईट एव SPPP पोर्टल पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

79

D/CE Order 2020

राजीव गांधी विद्याभवन | Rajiv Gandhi Vidya Bhawan  
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिष्टारं कुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग | Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sansthal  
जयपुर-302 015 (राजस्थान) | JLN Marg, Jaipur-302 015 (Rajasthan), India

+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

HJU A UNIVERSITY ESTABLISHED BY AN ACT OF THE RAJ STATE LEGISLATURE. A NATIONAL CENTRE FOR TEACHING, TRAINING AND RESEARCH IN JOURNALISM, MASS COMMUNICATION AND ALLIED FIELDS  
पत्रकारिता, जनसंचार और संबंधित विषयों के शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के लिए राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्थान